राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:-(1) समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
(2) समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

क्रमांक:- प.6(16)राज-6/91/13 जयपुर, दिनांक:- 19.8.2000

-: प रि प त्र :-

विषय:- औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम के तहत विकास शुल्क बाबत् ।

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3 में यह प्रावधान है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन के प्रकरणों में पट्टाधारी (लीज़ी) से विकास शुल्क के रूप में प्रीमियम की राशि निर्धारित दर पर ली जायेगी । राजकीय भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन में भूमि की कीमत भी ली जाती है । जिन मामलों में रीको या पर्यटन निगम के लिए भूमि अवाप्त की जाती है उनमें तथा खातेदार या उद्यमी द्वारा भूमि खरीद कर आवंटन हेतु सरेण्डर करने पर भूमि की कीमत नहीं ली जाती है ।

विकास शुल्क के संबंध में नियम 3 में निम्नलिखित दरें निर्धारित की हुई है :-

1. जयपुर एवं कोटा शहर के 15 मील के घेरे की भूमि	रू. 1500/-/एकड
2. 3 लाख से अधिक आबादी के शहरों (जयपुर व कोटा को छोड़ते हुए) के लिए	रू. 500/-/एकड
3. 50 हजार से अधिक किन्तु 3 लाख से कम की आबादी के शहरों के लिए ।	रू. 300/-/एकड
4. 10 हजार से अधिक किन्तु 50 हजार से कम की आबादी के शहरों के लिए ।	रू. 200/-/एकड
5. 10 हजार तक की आबादी के कस्बे के लिए	रू. 100/-/एकड

इसमें प्रथम परन्तुक में यह भी प्रावधान है कि जहां राज्य सरकार या रीको या पर्यटन निगम द्वारा किसी औद्योगिक क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है वहां उस औद्योगिक क्षेत्र में कोई विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा। यहां पर जो शब्द महत्वपूर्ण है वह " औद्योगिक क्षेत्र " है । एक कस्बे/शहर में एक से अधिक औद्योगिक क्षेत्र सेट अपार्ट/घोषित किए जा सकते हैं। इनमें कोई क्षेत्र रीको के अधीन होगा तो कोई क्षेत्र जिला औद्योगिक केन्द्र अर्थात् जिला कलेक्टर (उद्योग) के अधीन।। जिस औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य किया गया

क्रमशः...2 पर

है उसी औद्योगिक क्षेत्र में प्रीमियम विकास शुल्क के रूप में देय होगा अन्यथा नहीं ।

इसके अलावा द्वितीय परन्तुक में यह भी प्रावधान किया हुआ है कि जिस औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है उनमें लेसी से रीको क्षेत्र की विकास दर ली जायेगी ।

उपरोक्त प्रावधान का स्पष्टतया तात्पर्य यह है कि जिस औद्योगिक क्षेत्रों में उपरोक्त किसी संस्था/सरकार द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया है वहां कोई विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा । रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा आवंटित भूखण्डों के लिए रीको के डिस्पोजल नियमों के तहत निर्धारित विकास शुल्क देय होगा । उपरोक्त द्वितीय परन्तुक का प्रावधान रीको क्षेत्र के लिए ही लागू है न कि जिला कलेक्टर के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों लिए । अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य की दशा में विकास शुल्क नियम 3 ( ) में विभिन्न शहरों/कस्बों के लिए निर्धारित दरों से लिया जावे ।

यह भी निर्देश प्रदान किए जाते है कि जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित क्षेत्रों के अति निकट है एवं उन क्षेत्रों को चिन्हित कर 10 दिवस में सूचित करें ताकि उन पर भी विकास शुल्क की देयता के बारे में निर्णय लिया जा सके ।

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर ।
2. महाप्रबन्धक, रीको, राजस्थान, जयपुर ।
3. महाप्रबन्धक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
5. महालेखाकार कार्यालय राजस्थान, जयपुर ।
6. राजस्व (ग्रुप-2) विभाग ।
7. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

मनोज/1782